| तारीख हुक्म | हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>श्री भूपेश राठौड़, 103, मित्तल चैम्बर्स आईनॉक्स, नरीमन पॉइण्ट के सामने मुम्बई 400021<br>**बनाम**<br>लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली<br>प्रथम सूचना अपील संख्या :– 124/2022<br>जीसीएमएस नं. :– 2022/469<br>(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005) | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22.08.2024 | –: निर्णय :–<br><br>1. पत्रावली आज पेश हुई।<br>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।<br>3. अपीलार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वांछित सूचना के संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में इस कार्यालय द्वारा अपीलार्थी सूचित कर दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।<br>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई व ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना के संबंध में सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह रेस्पोडेण्ट के जवाब से संतुष्ट है।<br>5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।<br><br>6. निर्णय आज दिनांक **22.08.2024** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।<br><br>(एल.एन. मंत्री)<br>प्रथम अपीलीय अधिकारी<br>लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली | |

Scanned with ACE Scanner